

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
35/22	212 RTA	भोरखेड़ी	२७३१

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जगदीश वर्गै.	बनाम	अकबर खां वर्गै.

वकील :- देवेन्द्र कुमार मेहता (डब्ल्यू.)

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

30/5/22

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.07.2022 को पेश हो।

4/7/22

अज्ञात पीदासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 04.07.22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

2/8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद लागू ल सम्मन उपस्थित। पुनः तलवी हेतु तलवांगी आज ही पेश करें। वास्ते तलवी/तलवांगी पत्रावली दिनांक 11/10/22 को पेश करें।

11/10/22

अज्ञात पीदासीन अधिकारी के ~~स्थानांतरण~~ अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11.10.22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

5/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी उपस्थित। प्रतिवादी गणों को तलवी हेतु तलवांगी पेश नहीं हुआ। वकील प्राणी आज ही प्रतिवादी गणों की तलवी हेतु तलवांगी पेश करते पत्रावली वास्ते तलवी/तलवांगी दिनांक 11/01/23 को पेश हो।

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

4.24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक 28/5/24 को पेश हो।

[Signature]
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

28 5/24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक 29/6/24 को पेश हो।

[Signature]
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

26.9.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्सी उपर/अपार्सीगण की तलबी नहीं हुई है। इनकी तलबी हेतु 2 जिन AD का तलवाना आज ही पेश हो। आगामी पेशी तक तलबी नहीं होने पर प्रकरणावली 17.9.24 पर खारिज कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्तु तलबी 17.9.24 को पेश हो।

[Signature]

17.9.24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक 22/10/24 को पेश हो।

[Signature]
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

22-10-24

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्नी, डफन, कजर्नी गज की तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं किया गया। तलबी का उद्देश्य वकील जर्नी द्वारा कजर्नी गज की तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं कहे के कारण जर्नी का जर्नी पत्र अग्रे 9 दिनांक 5 CPC के तहत खारिज किया जाय। पत्रावली प्रेषण हुआ है। तलबी तलबी के सम्बन्ध में

[Signature]